


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती उर्मिला कुलदीप, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाराखुर्द, पं.स. ओसिया, जिला जोधपुर जन्मतिथि 29.12.1969 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 27.01.2022 से 25.06.2022 तक 160 दिवस की किंगसटन (कनाडा) जाने की अनुमति निर्देशानुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 12 कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- 13 कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं टहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जमानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जाएगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 82 के प्राधान्यान्वयित कार्यवाही अमल में लानी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 14 एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- 15 विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 16 सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवे :-
 - (1) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - (2) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तारण पूर्ण से कर दिया गया है।
 - (3) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय/जोन/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - (4) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण खसिल/विचाराधीन नहीं है।
- 17 विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- 18 विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में टहरने का पूर्ण पता भ्रम मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- 19 विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत्र से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जावेगी।
- 20 विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 21 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- 22 विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

सत्यमेव जयते



(काना राम)

आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 21/12/21

क्रमांक :- शिक्षा/माध्य/संस्था/ए-4/विदेश यात्रा/2021

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 शासन उप सचिव, शिक्षा (मुद्र-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 02 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग जोधपुर।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
- 04 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति ओसिया, जिला जोधपुर।
- 05 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाराखुर्द, पं.स. ओसिया, जिला जोधपुर
- 06 श्रीमती उर्मिला कुलदीप, प्रधानाचार्य, राज. उच्च माध्य. वि. बाराखुर्द, पं.स. ओसिया, जिला जोधपुर
- 07 एसीपी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 08 माली पंजिका।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर